5/2/19 वकील वादी उपस्थित। वकील
वादी ने बहस हेतु समय चाहा।
पत्रावली वास्ते बहस दिनांक
18.2.19 को पेश हो।

18.2.19 वकील वादी उपस्थित। वकील
वादी से बहस से तथ्यों पर
मनन किया एवं पत्रावली पर
उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन
किया। वादीगण का वाद
डिक्री किया जाकर है। विस्तृत
निर्णय पृथक से लिखवाया
गया शामिल पत्रावली किया
गया। पत्रावली फैसल शुमार
होवे। दर्ज रजिस्टर हो बाद
तामील पत्रावली अभिलेखागार हो।

उपखण्ड अधिकारी
कोटपूतली (जयपुर)

न्यायालय उपखण्डाधिकारी कोटपूतली (जयपुर)
पीठासीन अधिकारी :- श्रीमती ज्योति मीना (R.A.S)
वाद स० 154/2008
1. कैलाश
2. चन्द्रमोहन
3. संजयकुमार पुत्रान् ग्यारसीलाल समस्त जाति ब्राह्मण ग्राम काल्हेड़ा तहसील - कोटपूतली (जयपुर)
(वादीगण)

बनाम

1. रामजीलाल
2. मंगतू पुत्रान् गिरधारी
3. बिल्लू पुत्र जगदीश समस्त जाति ब्राह्मण ग्राम काल्हेड़ा तहसील - कोटपूतली
4. उमराव पुत्र केशाराम गुर्जर निवासी ग्राम काल्हेड़ा तहसील कोटपूतली
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार कोटपूतली
6. सब रजिस्ट्रार कोटपूतली
(प्रतिवादीगण)

दावा इस्तकरारहक रिकार्ड दुरुस्ती तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा
निर्णय दिनांक :-

पत्रावली आज पेश हुई। उपरोक्त उनवानी वाद वादीगण की ओर से जरिये अधिवक्ता श्री सुधीरशर्मा एक वाद इस्तकरारहक रिकार्ड दुरुस्ती तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का इस न्यायालय में प्रस्तुत किया। जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है, कि आराजी साबिक ख० न० 533 रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा वाके मौजा केशवाना राजपूत तहसील - कोटपूतली के खातेदार बिस्वेदार वादीगण माधोसिंह पुत्र रघुसिंह, मातादीन पुत्र भरतसिंह, नन्दूसिंह पुत्र जीवनसिंह

उपखण्ड अधिकारी
कोटपूतली (जयपुर)

Scanned by CamScanner

(2)

हटासिंह पुत्र शिम्भूसिंह, जितेन्द्रसिंह पुत्र चिम्मनसिंह, बख्तावरसिंह पुत्र प्रहलादसिंह जाति राजपूत निवासी केशवाना राजपूत व उनके बुजुर्गान थे एवं उपरोक्त भूमि पर वादीगण के बुजुर्गान महादेव पुत्र तनसुख बतौर खातेदार काश्तकार काश्त करते चले आ रहे थे उपरोक्त विश्वेदारान ने उक्त भूमि मे 19 बिस्वा भूमि जरिये रजिस्ट्री वादीगण के पिता महादेव प्यारेलाल पुत्र महादेव को बेचान कर दी थी।

सेटलमेन्ट में आराजी साबिक ख० नं० 533 व 535 वाके ग्राम केशवाना राजपूत तहसील-कोटपूतली के हाल ख० नं० 790/1.05 है० बने है।

आराजी साबिक ख० नं० 533 रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा वाके मौजा केशवाना राजपूत पर वादीगण कदीमी से यानि बुजुर्गान के समय से काबिज काश्त चले आ रहे है एवं आज भी मौके पर काबिज है। इस प्रकार प्रतिकूल कब्जे के आधार पर स्वतः ही खातेदारी अधिकार प्राप्त हो गये। उपरोक्त आराजी पर राजस्व कर्मचारियों से सांठ गांठ कर प्रतिवादी सं० 1 लगायत 3 के बुजुर्गान गिरधारी ने वादीगण एवं उनके बुजुर्गान की जगह स्वयं का नाम दर्ज करवा लिया। गिरधारी फौत हो गया। जिसके वारिसान उसके तीन लड़के जगदीश राम-जीलाल मंगतूराम हुए। जगदीश फौत हो गया। जिसके वारिस उसका लड़का बिल्लू हुआ।

साबिक खसरा नम्बर 533 रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा व 535 रकबा 2 बीघा 14 बिस्वा मे से साबिक ख०नं० 535 के खातेदार ने अपने हिस्से की भूमि को जरिये रजिस्ट्री प्रतिवादी सं०-4 को बेचान कर दिया।

वादीगण ने प्रतिवादीगण को अनेको बार आराजी हाल ख० नं० 790/1.05 है० वाके मौजा केशवाना राजपूत के हाल राजस्व रिकॉर्ड में दुरुस्ती करवाने हेतु कहा परन्तु प्रतिवादीगण साफ इन्कार हो गये। इसलिए दावा

ड अधिकारी
ली (जयपुर)

लगातार पृष्ठ-3

Scanned by CamScanner

(3)

पेश करना आवश्यक हुआ और यही विनाय दावा है।

इस प्रकार उक्त आराजी के तकासमा हेतु भी प्रतिवादीगण साफ इन्कार हो गये और उक्त आराजी में राजस्व रिकॉर्ड में प्रतिवादी सं० 1 से 3 का नाम दर्ज होने से वादीगण को उक्त आराजी से बेदखल करने पर आमादा है। इसलिए तकासमा एवं स्थाई नि-षेधाज्ञा का दावा लाये लाया गया है।

अतः दावा प्रस्तुत कर निवेदन है, कि आराजी हाल ख० नं० 790/1.05 हे० वाके मौजा केशवाना राजपूत के रिकॉर्ड में खानसी की जाकर प्रतिवादी सं० 1 लगायत 3 व उनके कुनुगानि का गैरखातेदारी पुत्र नन्दसुख का नाम हटाया जाकर वादीगण को 0.35 हेयर भूमि यानि स-म्पूर्ण भूमि के 1/3 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे।

तथा तकासमा डिग्री विरुद्ध प्रतिवादीगण प्रदान की जावे, कि आ०ख० नं० 790/1.05 हे० वाके मौजा केशवाना राजपूत मे वादीगण के हिस्सा 1/3 का प्रतिवादी सं०-4 के मध्य अच्छी मे से अच्छी एवं बुरी में से बुरी भू-मि के आधार पर तकासमा किया जाकर हस एवं बाउन्ड्रस के आधार पर तकासमा किया जाकर [illegible] डालकर रिकॉर्ड खातेदार दर्ज किया जावे।

वादीगण के पक्ष में और डिग्री स्थाई निषेधाज्ञा वादीगण के हिस्से में जो वादीगण शांति दी जावे, कि वादीगण के हिस्से में राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति पूर्ववत कायम करने देवे एवं उपरोक्त आराजी का रहन-बेचान नहीं करें। तथा अन्य कोई दादरसी माननीय न्यायालय उचित समझे प्रदान की जावे।

वादीगण की ओर से जरिये अधिवक्ता वाद पर रिपोर्ट साहित प्राप्त की गई। दावा काबिले समाअत होना पाये जाने पर दर्ज रजिस्टर कराया जाकर प्रति-वादीगण को तलबी हेतु नोटिस जारी किये गये।

उपखण्ड अधिकारी
कोटपूतली (जयपुर) सा० तार 4466-4

Scanned by CamScanner

सूचना उपरान्त अप्रार्थीगण को गांव में अथवा सिरोहा से तलबी करने पर उपस्थित नहीं आने पर उनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई, तथा पत्रावली प्रेषित. वास्ते साक्ष्य वादी हेतु नियत की गई।

साक्ष्य वादी में वादी चन्द्रमोहन के बयान कराये गये, तथा वाद के समर्थन में किस्त होसियत 2005, विक्रय-पत्र जिसके प्रश्नगत भूमि क्रय की है पेश किया, तथा वादी द्वारा प्रस्तुत समर्थन-पत्र उक्त भूमि की मौका रिपोर्ट प्राप्त की गई। दस्तावेजी साक्ष्य को शामिल पत्रावली करते हुए प्रकरण वास्ते बहस नियत किया गया।

हमने अधिवक्ता वादी की एक पक्षीय बहस सुनी गई। उन्होंने अपने वाद-पत्र के समस्त तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि उपरोक्त भूमि पर वादी के दादा महादेव पुत्र तनसुख कदीमी से काश्त करते चले आ रहे हैं, तथा उनकी मृत्यु के पश्चात वादी लगातार काबिज काश्त चला आ रहा है। उक्त भूमि को तत्कालीन खातेदार किशनदास से खरीद की है। परन्तु राजस्व कर्मचारियों की गलती से महादेव पुत्र तनसुख की देहान्त के बाद ग्यारसीलाल पुत्र महादेव के स्थान पर उनके भाई गिरधारी पुत्र तनसुख का नाम दर्ज कर दिया जबकि उक्त भूमि से इनका कोई लेना-देना नहीं है। मौके पर आज भी वादीगण काबिज है। इसलिए वादीगण का वाद डिक्री

उपखण्ड अधिकारी
कोटपूतली (जयपुर)

[illegible] 56(-5

Scanned by CamScanner

किया जावे।

हमने अधिवक्ता वादी की बहस के तथ्यों पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया। सम्बन्धित अराजी खसरा नं० 533 रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा के खातेदार रघुनाथ सिंह कौम राजपूत थी उक्त भूमि के काश्तकार महादेव पुत्र नन्दसुख थे, जो जमाबन्दी संवत् 2005 से काश्तकार होना प्रकट है। उक्त प्रश्नगत भूमि जरिये रजिस्टर्ड विक्रय-पत्र से खरीद की है। महादेव पुत्र नन्दसुख की मृत्यु के उपरान्त उनके फौत होने पर उनके लड़के वादीगण को स्वतः ही खातेदारी अधिकार प्राप्त हो गये। तहसीलदार कोटपूतली से प्राप्त मौका रिपोर्ट अराजी खसरा नं० सम्बन्धित 533 से बने हाल खसरा नं० 790/1.05 हे० वाके मौजा केशवाना राजपूत के हिस्से 1/4 पर वादीगण बतौर खातेदार काश्तकार काबिज है। शेष आराजी पर अमराव पुत्र केशा काबिज काश्तकार है। इस प्रकार वादी ने अपना वाद अपनी जुबानी साक्ष्य एवं दस्तावेज से बखूबी साबित किया जाने पर वादीगण का वाद डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः वादीगण का वाद डिक्री किया जाता है। खसरा नं० 790/1.05 हे० वाके ग्राम केशवाना राजपूत तहसील-कोटपूतली की भूमि राजस्व रिकॉर्ड से प्रतिवादी नं०-1 लगायत 3 व उनके पिता जोधराज पुत्र नन्दसुख का नाम

उपखण्ड अधिकारी
कोटपूतली (जयपुर)

लगातार पृष्ठ-6

हटाया जाकर वादीगण को विवादित खातेदार घोषित किया जाता है। इसी प्रकार पर्चा डिक्री जारी हो पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर से कम हो, तथा दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 18.2.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
कोटपूतली (जयपुर)

Scanned by CamScanner

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(आदेश 20 नियम 6–7 जाप्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्डाधिकारी मुकाम कोटपूतली

बईजलास :- श्रीमती ज्योति मीना (R.A.S)

कैलाश बनाम रामजीलाल

दावा बाबत इस्तकरार हक रिकॉर्ड दुरुस्ती तरमीम एवं स्थाई निषेध

मुकदमा न 154 संन 2008

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू.................................
व हाजिरी...मितजानिब मुदई रूबरू............
मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि वादीगण का वाद डिक्री किया जाता है। आ० ख० नं० 790/1.05 हे० वाके ग्राम केशवाना [illegible] तहसील - कोटपूतली की भूमि राजस्व रिकॉर्ड से प्रतिवादी सं० 1 लगायत 3 व उनके पिता [illegible] पुत्र [illegible] का नाम हटाया जाकर वादीगण को खातेदार काश्तकार

निज [illegible] बिलिग [illegible] बाबत [illegible]..................................
खर्चा इस मुकदमे में मय सूद बशरह..............फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक................अदा करे।

बसख्त मेरे दस्खत व मुहर अदालत के आज तारीख 18 माह 2 सन 2019 को जारी की गई।

मुहर

दस्तखत उपखण्ड अधिकारी कोटपूतली (जयपुर)

ओहदा

मुदई	रूप्ये	पैसे	रेस्पोडेन्ट	रूप्ये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वहज सबूत			स्टाम्प वहज सबूत		
महन्ताना वकील			महन्ताना वकील		
खर्चा गवाहान			खर्चा गवाहान		
फीस कनिश्नर			फीस कनिश्नर		
बबत इजराय हुक्मनामा			बबत इजराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
मीजान			मीजान		

नोट :इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

Scanned by CamScanner